83

से

ना

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निग-1214-III-16

प्र.क. /2016 निगरानी

श्री दुष्यन्त कुमार सिंह एड. द्वारा आज दि. 18/4/16 को प्रस्तुत
18-4-18
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

श्रीमती सुधई पुत्री काशीराम लोधी
निवासी– सिल्लापुर, तहसील करैरा,
जिला शिवपुरी (म.प्र.) ———आवेदिका

बनाम

मध्य प्रदेश शासन ———अनावेदक

दुष्यन्त कुमार सिंह
एडवोकेट
म.प्र. उच्च न्यायालय एवं रेवेन्यू बोर्ड
ग्वालियर–

निगरानी अन्तर्गत धारा–50(1) म.प्र. भू राजस्व संहिता–1959 (नये संशोधन अधिनियम–2011) विरूद्ध आदेश तहसीलदार तहसील करैरा, जिला शिवपुरी के प्रकरण कमांक 65/2015–16/अ–6–अ में पारित आदेश दिनांक 16.3.2016 से परिवेदित होकर।

माननीय,

आवेदिका का निगरानी आवेदन–पत्र निम्न लिखित प्रस्तुत हैः–

प्रकरण के तथ्यः–

संक्षेप में इस प्रकार है कि, विवादित भूमि ग्राम सिल्लारपुर, तहसील करैरा में स्थित होकर, सर्वे कमांक 379/मिन–2 रकवा 1.00 हैक्टर वर्ष 1990–91 में शासकीय काविल काश्त खसरा में अंकित थी। आवेदिका ने भूमिहीन कृषक होने व पट्टे की पात्रता में आने से भूमि सर्वे कमांक 379/मिन–2 रकवा 1.00 हैक्टर के व्यवस्थापन/बंटन हेतु नायब तहसीलदार तहसील करैरा, जिला शिवपुरी के समक्ष आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया, जिसे प्रकरण कमांक 275/91–92/अ–19 पर दर्ज किया

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

....

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक 1214/ ।।।/2016 निगरानी **जिला शिवपुरी**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एंव अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5–5–2016	आवेदिका की ओर से अधिवक्ता श्री दुष्यन्त कुमार सिंह द्धारा यह निगरानी तहसीलदार तहसील करैरा, जिला शिवपुरी के प्रकरण कमांक 65/2015–16/अ–6–अ में पारित आदेश दिनांक 16–3–2016 के विरूद्ध म0प्र0भू राजस्व संहिता–1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि आवेदिका श्रीमती सुधई पुत्री काशीराम लोधी ने तहसीलदार करैरा के समक्ष ग्राम सिल्लापुर की मूल निवासी होने एंव ग्राम सिल्लारपुर की शासकीय भूमि सर्वे नम्बर 379/मिन–2 रकवा 1.00 हैक्टर पर पूर्व काविज होकर, भूमिहीन होने तथा व्यवस्थापन/बंटन की पात्रता रखते हुये आंबटन हेतु आवेदन पेश किया, तहसीलदार करैरा ने प्रकरण कमांक 275/91–92/अ–19 पर पंजीवद्ध किया जाकर, आदेश दिनांक 26–10–1992 को आवेदिका के पक्ष में आंबटन किया गया जिसके आधार पर शासकीय अभिलेख में आवेदिका के नाम वर्ष 1993–94 से वर्ष 2013–14 तक दर्ज रहा है एंव वर्ष 2013–14 के वाद आवेदिका को बिना सूचना, सुनवाई एंव बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश से पटवारी अभिलेख से आवेदिका के नाम की प्रबिष्टि को निरस्त करते हुये उक्त भूमि को शासकीय धोषित किया	

गया। आवेदिका को इस वात की जानकारी होने पर आवेदिका द्वारा तहसीलदार तहसील करैरा जिला शिवपुरी के समक्ष म.प्र. भू राजस्व संहिता–1959 की धारा 115,116 के तहत प्रबिष्टि को दुरूस्त करने हेतु आवेदन पेश किया गया, जिसे प्रकरण कमांक 65/15–16/अ–6–अ पर दर्ज किया जाकर, आदेश दिनांक 16–3–2016 को निरस्त किया गया। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

4/ निगरानी मेमो के तथ्यों एंव उभयपक्षों के अभिभाषकों के तर्को पर विचार किया, एंव प्रस्तुत दस्तावेजो के अवलोकन से स्पष्ट है कि, तहसीलदार करैरा द्वारा आदेश दिनांक 26–10–1992 से आवेदिका को भूमि सर्वे नम्बर 379/मिन–2 रकवा 1.00 हैक्टर का आंबटन किया गया है उक्त भूमि आवेदिका के नाम शासकीय अभिलेख में वर्ष 1993–94 से वर्ष 2013–14 तक रही है इसके पश्चात वर्ष 2013–14 में आवेदिका के नाम की प्रबिष्टि को विलोपित किया है जिसके सुधार हेतु आवेदिका द्वारा धारा–115, 116 के तहत तहसीलदार के समक्ष आवेदन पेश किया गया। तहसीलदार करैरा के आदेश दिनांक 16–3–2016 के अवलोकन पर पाया गया कि, आवेदिका का नाम भूमिस्वामी स्वत्व पर खसरे में भूमि सर्वे नम्बर 379/मिन–2 रकवा 1.00 हैक्टर पर दर्ज है, तहसीलदार द्वारा मात्र पटवारी ग्राम की रिपोर्ट के आधार पर सॅशोधित की गई है तथा आवेदिका को सुनवाई का अथवा बचाव प्रस्तुत करने का

कोई अवसर नहीं दिया है। तहसीलदार करैरा ने आवेदिका का नाम शासकीय अभिलेख से काटने के पूर्व सुनवाई हेतु किसी प्राकर का सूचना पत्र भी नहीं भेजा है जो नैसर्गिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर, तहसीलदार, करैरा जिला शिवपुरी द्वारा प्रकरण कमांक 65/2015–16/अ–6–अ में पारित आदेश दिनांक 16–3–2016 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है। फलतः तहसीलदार करैरा द्वारा पूर्व में किया गया आंबटन प्रकरण कमांक 275/91–92/अ–19 में पारित आदेश दिनांक 26–10–1992 विधिसम्मत होने से स्थिर रखा जाता हैं एंव निर्देश दिये जाते है कि तहसीलदार करैरा आवेदिका सुधई पुत्री काशीराम लोधी के नाम की प्रविष्टि पूर्व की भॉति करें।

(एम.के.सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश, ग्वालियर